सुनी जायेगी पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 5-5-17 को पेश हो।

5-5-17 पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ ने कार्य स्थगित रखने का निर्णय लिया है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24-5-17 को पेश हो।

24.05.2017 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को दौहराते हुए कथन किया कि श्रीमान्जी के आदेश दिनांक 25.09.1985 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प बीकानेर के आदेश दिनांक 25.09.1986 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है और राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी निरस्ती का आदेश दिनांक 17.08.2001 बहाल रखा गया। प्रकरण श्रीमान्जी को रिमाण्ड होनें पर दिनांक 16.09.2013 को बग्गासिंह बैगराह के प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करनें हेतु निरस्त कर दिया गया इसलिये आप द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.1985 से पूर्व राजस्व रिकार्ड की स्थिति थी वही स्थिति पुनः प्रतिस्थापित किये जानें का आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर को किये जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा दौरानें बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते की भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 130/2014 अनवान बुधसिंह बनाम जोगेन्द्रसिंह विचाराधीन था जिसके अन्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा चक 15 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 45, 44, 43, 42, 41 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होनें के कारण खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.09.2013 के द्वारा स्वीकृत शुद्धा रास्ता को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता खुलवानें के अधिकार ग्राम पंचायत को होनें के कारण राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य शर्त) शर्त संख्या 8(2) के तहत मौरूसी भूमि में रास्ता स्वीकृत किये जानें का अधिकार न्यायालय को नहीं होनें के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। परन्तु उक्त विवादित भूमि में न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है।

चुँकि प्रार्थीगण द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य शर्त) शर्त संख्या 8(2) के तहत किये गये आदेश दिनांक 16.09. 2013 की पालना में अनुतोष चाहा है जो स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है, नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 17.10.1985 को निरस्त किया जाता है। परन्तु इस आदेश की आड में मौके पर चल रहे रास्ता को बन्द नहीं किया जावे। क्योकि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.01.2017 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की नई धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 130/2014 अनवान बुधसिंह बनाम जोगेन्द्रसिंह के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अन्तर्गत न्यायालय द्वारा चक 15 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 45, 44, 43, 42, 41 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जा चुका है। जो उक्त आदेश से प्रभावित नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्त रास्ते के फलस्वरूप मुआवजा राशि जो पूर्व में जमा है, को समायोजित करते हुए शेष राशि यदि कोई बनती हो तो जमा करवानें के उपरान्त आदेश दिनांक 16.01.2017 की नियमानुसार पालना की जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिंनाक 24.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 13 जी छोटी में मजमे आम सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर